राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 143वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 143वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को अपरान्ह 02:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक श्री देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 450वीं एवं 451वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/02/2023 एवं 10/02/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स ओटेबंद लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री दिलीप जैन), ग्राम–ओटेबंद, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1622)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी/ एमआईएन/ 204823/2021, दिनांक 20/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन क्रमशः दिनांक 26/03/2021 एवं 20/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी क्रमशः दिनांक 13/12/2021 एवं 13/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ओटेबंद, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 22/1, कुल क्षेत्रफल–3.076 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–26,317.94 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 22/1, कुल क्षेत्रफल–3.078 हेक्टेयर, क्षमता – 28,101.10 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 04/07/2022, 17/07/2022 एवं 28/10/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में आवेदन दिनांक 30/09/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	33,095
2018–19	31,730
2019–20	20,720
2020–21	20,330
2021–22	2,800

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा जारी उपरोक्त प्रमाण पत्र अनुसार वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता – 28,101.1 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्खनन किया जाना पाया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी जानकारी वित्तीय वर्ष में होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन क्षमता से अधिक प्रतिपादित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी वर्षवार खनिज विभाग से प्राप्त कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी पुनः प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ओटेबंद का दिनांक 26/01/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1124/ख.लि/तीन–1/2015 बलौदाबाजार, दिनांक 05/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.लि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दिलीप जैन के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/04/2006 से 25/04/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों

अर्थात् दिनांक 26/04/2016 से 25/04/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा/596 रायपुर, दिनांक 08/03/2006 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ओटेबंद 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–ओटेबंद 2 कि.मी. एवं अस्पताल भाटापारा 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2.2 कि.मी. दूर है। हावड़ा मुम्बई रेल लाईन 240 मीटर एवं रेल्वे स्टेशन–निपनिया 12 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,16,263 टन, माईनेबल रिजर्व 2,18,229 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,96,406 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,004.98 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी / ओवर बर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,316.41 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,553.88	षष्टम	26,317.94
द्वितीय	28,101.10	सप्तम	16,320.46
तृतीय	21,302.35	अष्टम	16,304.36
चतुर्थ	20,783.62	नवम	11,726.81
पंचम	20,526.11	दशम	19,469.59

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 450 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं

सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,004.98 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 415.14 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई एवं 541.26 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान के कॉन्सेप्चुअल प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान में क्रशर क्षेत्र का क्षेत्रफल लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में परस्पर ओवर लैप (Overlap) कर दर्शाया गया है, जबकि अनुमोदित क्वारी प्लान के रिजर्व की गणना (Chapter 4) में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) एवं क्रशर का क्षेत्रफल भिन्न–भिन्न दर्शाया गया है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़कर, लीज क्षेत्र में क्रशर के क्षेत्रफल को प्रतिबंधित करते हुए रिजर्व की वास्तविक गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी वर्षवार खनिज विभाग से प्राप्त कर वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता – 28,101.1 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्खनन किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़कर एवं लीज क्षेत्र में क्रशर के क्षेत्रफल को प्रतिबंधित करते हुए रिजर्व की वास्तविक गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

16. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज सहित **पुनः प्रस्तुतीकरण** दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अनुमोदित माईनिंग प्लान में उत्पादन (क्षमता विस्तार) में परिवर्तन किया गया है। अतः पुनः नये संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार आवेदन किया जाएगा। उक्त कारणों से प्रकरण को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स खाखा ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री रामकृपाल साहू), ग्राम–खाखा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2136)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81577/2022, दिनांक 20/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 15/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खाखा, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 1214 एवं 1220, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 06/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकृपाल साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 1214 एवं 1220, कुल क्षेत्रफल–1.8 हेक्टेयर, क्षमता–1,500 घनमीटर (10,00,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15/03/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1487/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (नग)
2016	निरंक
2017	5,00,000
2018	5,70,000
2019	5,50,000
2020	5,00,000

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (मिट्टी उत्खनन एवं ईंट उत्पादन) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खाड़ा का दिनांक 22/08/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – नॉटिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2037/खनिज/खनि.2/2022 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 10/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1489/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 6.21 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1488/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद,

मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री रामकृपाल साहू के नाम पर है। लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 09/01/2002 से 08/01/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 15 वर्षों अर्थात् दिनांक 09/01/2017 से 08/01/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री रामअधार साहू एवं रामपदारथ साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, जिला–कोरिया–बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/ना.चि./51 बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/01/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5.3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खाड़ा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–खाड़ा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 700 मीटर एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। गेज नदी 7 कि.मी. , नहर 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 31,500 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 24,920 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 23,674 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 648 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,000	10,00,000
द्वितीय	1,000	10,00,000
तृतीय	1,000	10,00,000
चतुर्थ	1,000	10,00,000
पंचम	1,000	10,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
षष्टम	1,000	10,00,000
सप्तम	1,000	10,00,000
अष्टम	1,000	10,00,000
नवम	1,000	10,00,000
दशम	1,000	10,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.04 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से की जाती है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – वर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 85 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं उक्त के अतिरिक्त 241 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

15. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 648 वर्गमीटर क्षेत्र है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत केएमएल फाईल में कुछ भाग उत्खनित प्रतिपादित हो रहा है। प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1489/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 6.21 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खाडा) का रकबा 1.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खाडा) को मिलाकर कुल रकबा 8.01 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के

संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall submit the revised project cost breakup.

v. Project proponent shall submit production detail (in cubic meter and Number of Bricks) from 01/01/2021 to till date from the mining department.

vi. Project proponent shall submit the consent letter from the land owners.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines

located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 1 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 1 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 1 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintainance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River."

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स रामनगर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री गणेश कुमार जायसवाल), ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2112)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 285545/2022, दिनांक 26/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3, कुल क्षेत्रफल – 0.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 840.75 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 4,51,544 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामचन्द्र जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3, कुल क्षेत्रफल–0.9 हेक्टेयर, क्षमता–840.75 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 4,51,550 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 15/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर में आवेदन दिनांक 15/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 180 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1805/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
2017	545	4,50,000
2018	388	3,20,000
2019	509	4,20,000

   v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1805/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 19/12/2019 से स्वीकृत क्षेत्र अंतर्गत उत्खनन कार्य पूर्णतः बंद है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर का दिनांक 24/01/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वारोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक

906/खनिज/खनि.2/2016, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 05/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1806/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 22/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1806/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री गणेश कुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 03 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/09/2013 से 17/09/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड 27 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/09/2016 से 17/09/2043 तक विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 1259/2 श्री उमाशंकर जायसवाल व श्री रामचन्द्र जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 1259/3 श्री रामचन्द्र जायसवाल व श्री गणेश कुमार जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./3138 अम्बिकापुर, दिनांक 06/08/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रामनगर 600 मीटर, स्कूल ग्राम–रामपुर 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल विश्रामपुर 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19.45 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 2.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,282 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 9,187 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 8,268 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 12,680 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 8,828 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 356.01 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर

में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (FCBTK) स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। जिग–जैग (Zig-Zag) पद्धति प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत पलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	840.51	4,51,413	षष्टम	840.75	4,51,544
द्वितीय	840.33	4,51,316	सप्तम	840.75	4,51,544
तृतीय	834.66	4,48,271	अष्टम	840.75	4,51,544
चतुर्थ	840.75	4,51,544	नवम	840.75	4,51,544
पंचम	840.75	4,51,544	दशम	708.56	3,80,547

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.44 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
17	2%	0.34	Following activities at Nearby Govt. Primary School, **Village-Adrapara-Ramnagar**	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			UV water filter AMC	0.215
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank Pipeline & Installation	0.150
			Total	**0.365**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमाकंन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1848, दिनांक 10/01/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/11/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रेषित अनुरोध पत्र की प्रति प्रेषित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ /एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1806/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 22/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–रामनगर) का क्षेत्रफल 0.9 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–रामनगर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स रामनगर ब्रिक्स अर्थवले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री गणेश कुमार जायसवाल) को ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.9 हेक्टेयर, क्षमता–840.75 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 4,51,544 नग) प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/11/2022 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को लेख किया गया था। साथ ही यह भी पाया गया कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा भी पत्र दिनांक 10/01/2023 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन बाबत् प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को लेख किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार **"In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same."** का उल्लेख है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स रामनगर ब्रिक्स अर्थवले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री गणेश कुमार जायसवाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से प्राप्त होने तथा शर्तों का पालन पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स जमुनाही सेण्ड माईन (ए–2) (प्रो.– श्री शुभेन्द्र सिंह), ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2176)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405011/2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 62/1, कुल क्षेत्रफल–3.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मनियारी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 34,010 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुभेन्द्र सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत बघनीमांवर का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना –** माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 1630/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2022, दिनांक 14/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 596/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 596/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री शुभेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 01/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–डोंगरिया 130 मीटर, स्कूल ग्राम–जमुनाही 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल लोरमी 5.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। नहर 700 मीटर, नाला 340 मीटर, तालाब 140 मीटर, पुल 540 मीटर, एनीकट 4.25 कि.मी. एवं खुरिया बांध 9.7 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1,184 मीटर, न्यूनतम 1,086 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर दर्शाई गई है। खदान की पूर्वी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 44 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर एवं पश्चिमी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.19 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 35,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.187 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई 3 मीटर से अधिक है। समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत जाना आवश्यक है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से लगी हुई है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 1,200 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.58 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.96	2%	0.379	Following activities at nearby, Village-Ghanaghath	

			Plantation with fencing in periphery of village pond area	0.40
			Total	0.40

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 25 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में 5 नग पौधे तालाब के किनारे पर है। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 16,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 22,500 रूपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 17,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.566 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक को संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक/804/खनि 02/रेत/(rule 7)/न.क्र.38/1996 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/02/2023 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसके अनुसार "पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आशय पत्र के छः माह की अतिरिक्त समयावधि (अर्थात दिनांक 29/03/2023 तक) प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर पंचनामा दिनांक 09/02/2023 का प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार गड्ढो में पानी आने की वजह से आगे खुदाई नहीं की जा सकी तथा बैड की गहराई 3.5 मीटर होने की संभावना होने का लेख किया गया है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर.

एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मनियारी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–जमुनाही) का रकबा 3.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 740 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 92,500 रूपये, खाद के लिए राशि 37,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,75,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,11,900 रूपये प्रथम वर्ष में एवं द्वितीय वर्ष कुल राशि 2,12,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त

2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स जमुनाही सेण्ड माईन (ए–2) (प्रो.– श्री शुभेन्द्र सिंह), खसरा क्रमांक 62/1, ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 12,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.58 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,010 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।
2. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स जमुनाही सेण्ड माईन (ए–2) (प्रो.– श्री शुभेन्द्र सिंह) को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु** निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

   "नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. **मेसर्स मोहमट्ठा डोलोमाईट स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम–मोहमट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2054)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 275396 / 2022, दिनांक 28 / 05 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहमट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 692, 745, 746 / 1, 746 / 2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 940, 953 / 1, 953 / 2, 954, 958 / 2, 962, 932 / 1, 932 / 2, 932 / 3, 937 / 1, 937 / 2, 938, 976, 977, 986 / 2, 930 एवं 931, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–94,335 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27 / 07 / 2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 405वीं बैठक दिनांक 28 / 04 / 2022 में किये गये अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18 / 08 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24 / 08 / 2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहमट्ठा का दिनांक 19 / 12 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1374 / खनि / डोलोमाईट / उ.यो. / 2020 बिलासपुर, दिनांक 20 / 10 / 2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 801 / खनि–03 / 2020 मुंगेली, दिनांक 29 / 10 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य डोलोमाईट खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 800/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – पूर्व में एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/516/खनि 02/न.क्र. 02/2020–21 मुंगेली दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1894/खनि 02/न.क्र. 02/2020–21, मुंगेली दिनांक 27/01/2022 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/07/2022) तक वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि समाप्त हो गई है।

7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग के समक्ष आवेदन किया गया है। आवेदन को स्वीकार करते हुए माननीय कलेक्टर, जिला–मुंगेली द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु अनुशंसा पत्र क्रमांक 481/खनि02/न.क्र.02/2022–23 मुंगेली, दिनांक 20/07/2022 को संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया गया है। माननीय कलेक्टर, जिला–मुंगेली द्वारा आशय पत्र में वैधता वृद्धि सुनिश्चित कर दी गई है। अतः समिति से अनुरोध है कि मेरे प्रकरण में प्रस्तुतीकरण के साथ जमा कराए गए स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए मेरे प्रकरण में आशय पत्र की वैधता के संदर्भ में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1 श्रीमती रूपा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 746/2, 760 श्री नेतराम, खसरा क्रमांक 747 श्रीमती श्वेता अग्रवाल, खसरा क्रमांक 759, 940 श्री गोविन्द लाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 953/2 श्रीमती उषा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 753, 958/2, 976, 977, 986/2, श्री मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 953/1 श्री मनीष कुमार अग्रवाल एंड संस, खसरा क्रमांक 954 श्री मोहन अग्रवाल एंड संस, खसरा क्रमांक 930, 931 शीतला मिनरल्स पार्टनर मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 962 नर्मदा मिनरल्स पार्टनर मोहन लाल अग्रवाल, के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। शेष खसरा क्रमांक 752, 754, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, एवं 938 आवेदक के नाम पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमंडल मुंगेली के ज्ञापन क्र./मा.चि./958/2021 मुंगेली, दिनांक 13/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 51 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मोहभट्ठा 355 मीटर, स्कूल ग्राम–मोहभट्ठा 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सारगांव 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 430 मीटर एवं राज्यमार्ग 15.55 कि.मी. दूर है।

तालाब 320 मीटर, नहर 4.87 कि.मी. एवं नाला 1.4 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 33,72,775 टन, माईनेबल रिजर्व 9,87,774 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,19,386 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 13,527 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,716 घनमीटर है, जिसमें से 4,743 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 1,973 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर खसरा क्रमांक 958 एवं 987 स्वयं के भूमि में संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	89,893.75	षष्टम	93,052.5
द्वितीय	90,416.25	सप्तम	93,765
तृतीय	91,021.88	अष्टम	93,515.63
चतुर्थ	91,485	नवम	89,632.5
पंचम	92,268.75	दशम	94,335

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.77 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,703 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 27,030 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,25,400 रूपये, खाद के लिए राशि 67,575 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,95,005 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,42,575 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। इस संबंध में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि खनन के दौरान 30 मीटर की गहराई के बाद ग्राउण्ड वॉटर टेबल आने पर खनिज विभाग एवं संबंधित विभाग से अनुमति

उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जाए। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा "उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला–मुंगेली द्वारा जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित लीज क्षेत्र में खुदाई के दौरान 50 मीटर से अधिक गहराई में पानी की उपलब्धता है।" की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

17. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – आवेदित लीज क्षेत्र के कुछ भाग में एवं इसके आसपास जुड़ी हुई भूमि पर कुल चार पत्थर खदान क्रमशः क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 0.888 हेक्टेयर एवं 0.849 हेक्टेयर को टेम्परेरी परमिट जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण, जिला–मुंगेली के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (वर्ष 2017 से वर्ष 2019) जारी की गई थी, जिसके कारण भूगल अर्थ से देखे जाने पर आवेदित लीज क्षेत्र में तीन गड्ढे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतः आवेदित लीज क्षेत्र में विद्यमान गड्ढो में किये गए खनन कार्य का वर्तमान में आवेदक (श्री मोहनलाल अग्रवाल) से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर के कुछ भाग लीज प्राप्त होने के पूर्व से ही उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में है। वर्तमान में उनके द्वारा उत्खनित क्षेत्र का मिट्टी से पुनःभराव कर वृक्षारोपण करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
124.5	2%	2.49	Following activities at Village-Mohbhatta	
			Plantation with fencing around TALAB & 5 year AMC	2.748
			Total	2.748

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–मोहभट्ठा के तालाब (खसरा क्रमांक 461/1 एवं 462) के चारों तरफ आम एवं जामुन के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 47 नग पौधों के लिए राशि 9,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,400 रूपये, खाद के लिए राशि 1,175 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 69,975 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,04,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाला, नदी, तालाब, जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. श्री मोहन लाल अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 515/खनि 02/न.क्र. /02/2020–21, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 76/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 801/खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य डोलोमाईट खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-मोहभट्ठा) का रकबा 4.97 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स मोहभट्ठा डोलोमाईट स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम-मोहभट्ठा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 940, 953/1, 953/2, 954, 958/2, 962, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 938, 976, 977, 986/2, 930 एवं 931, में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.97 हेक्टेयर,

क्षमता – 94,335 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मोहमट्टा डोलोमाईट स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन लाल अग्रवाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. मेसर्स गेरवा–2 सेण्ड माईन (प्रो.– श्री गणेश राम श्रीवास), ग्राम–गेरवा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1801)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227201/2021, दिनांक 07/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–गेरवा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 854/1, कुल क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदो नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 58,582 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 397वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम कोरबा का दिनांक 01/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4004/खनि–6/2020 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3980/खनि–01/रेत नी.(गेरवा 2)/न.क्र. 03/2021 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3979/खनि–01/रेत नी.(गेरवा 2)/न.क्र.03/2021 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री गणेश राम श्रीवास के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2119 खनि–01/रेत नी. (गेरवा 2)/न.क्र.03/2021 कोरबा, दिनांक 24/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/5596 कटघोरा, दिनांक 25/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गेरवा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–गेरवा 3 कि.मी. एवं अस्पताल कोरबा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 कि.मी. राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 279 मीटर, न्यूनतम 272 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 110 मीटर, न्यूनतम 107 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 93 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 58,582 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.19 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 09/06/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Gerva ghat & Anganbadi	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC	0.70
			Total	1.40

समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किया जाएगा।

16. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 93 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 709 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.929 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

18. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक से हस्ताक्षरित है, परंतु खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति

का मत है कि उक्त के संबंध में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग-अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. श्री गणेश राम श्रीवास के नाम पर है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 624/खनि 02/रेत(Rule7)/न.क्र.38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/02/2022 द्वारा वैधता वृद्धि हेतु जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (अर्थात् दिनांक 23/05/2022) हेतु वैध है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर सर्वेयर (Surveyor) के हस्ताक्षर एवं सील सहित सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

3. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.19 मीटर है।

4. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग-अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Gerva ghat & Anganbadi	
			Running Water Facility for Toilets	0.50
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in School	0.45
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in Anganbadi	0.45
			Total	1.40

5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में 1,500 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,92,000 रूपये, खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,92,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,59,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण (खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान) किये जाने हेतु वार्ड क्रमांक-53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में पार्षद से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नगर निगम आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से वार्ड क्रमांक-53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त/ जोन कमिश्नर की अनुमति प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वार्ड क्रमांक–53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किये जाने हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा का दिनांक 02/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र की वैधता दिनांक 23/08/2022 को समाप्त हो गई है। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 80/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला कोरबा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।
2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत

पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदो नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–गेरवा) का रकबा 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, रकबा 0.243 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 1,500 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 192,000 रूपये, खाद के लिए राशि 12,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,15,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं आगामी 4 वर्ष कुल राशि 1,44,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स गेरवा–2 सेण्ड माईन (प्रो. – श्री गणेश राम श्रीवास), खसरा क्रमांक 854/1, ग्राम–गेरवा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 709 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.929 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 29,290 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति,

जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।

2. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स गेरवा–2 सेण्ड माईन (प्रो.– श्री गणेश राम श्रीवास) को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु** निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

   "नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

3. आवेदित प्रकरण हेतु वृक्षारोपण (नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, रकबा 0.243 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 1,500 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रारंभिक 2 वर्षों के उपरांत वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु व्यय राशि को नगर निगम कोरबा में जमा किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. **मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–II, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2173)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/404769/ 2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–II, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 100(पार्ट) एवं 101(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.841 एकड़ में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स, स्ट्रीप्स एण्ड पाईप थ्रु इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (हॉट चार्ज) क्षमता–59,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 4.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप छुगानी, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा गेल्वेनाइजिंग पाईप एण्ड ब्लैक पाईप, इलेक्ट्रीक पोल एण्ड ट्रान्समिशन टावर क्षमता–72,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 13/06/2022 को जारी की गई। जो कि दिनांक 31/07/2023 तक वैध है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम–संकरा 2.50 कि.मी. एवं शहर रायपुर 13.70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बैकुण्ठ 3.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मोना, रायपुर 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.65 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – यह शासकीय भूमि है। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से स्थित प्लॉट नं. 100(पार्ट) एवं 101(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.841 एकड़, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–II, तहसील व जिला–रायपुर को दिनांक 30/10/2021 को लीज डीड संपादित की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 23/12/2108 तक है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S. No.	Particular	Existing Area (m^2)	Total Area After Expansion (m^2)	Total Area (%)
1.	Induction Furnace Area	-	2,155.96	10.99

2.	Rolling Mill Area	-	1,568.0	8.00
3.	Pipe Mill Area	2,340.0	2,340.0	11.93
4.	Galvanizing Area	2,080.0	2,080.0	10.61
5.	Finished Good Area	882	882.0	4.5
6.	Raw Material Yard	980.25	980.25	5.00
7.	Parking Area	500.0	500.0	2.69
8.	Road Area	582	582.0	2.96
9.	Green Belt Area	5,880	7,841.96	40.01
10.	Open Area	6355.75	669.83	3.41
Total		**19,600**	**19,600**	**100**

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing Activities	Activities After Expansion
1.	Production	Galvanizing Pipe & Black Pipe, Electric Pole and Transmission Tower- 72,000 TPA	No Change
2.		-	Re-rolled Products through Induction Furnace With CCM (Hot Charge)-59,500 TPA
3.	Working Hours	12	18

6. रॉ–मटेरियल :–

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	48,500	Open Market	By Road
2.	Scrap	15,000		
3.	Alloys	660		
For Re-rolled Product				
1.	Billets	59,500	-	-
For MS Pipe				
2.	Strips	59,500	In House	-
3.		12,500	Open Market	By Road

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में गेल्वेनाईजिंग इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9,558 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Quantity (TPA)	Method of Disposal
1.	Slag	-	2,450	Sold to Slag Processing Unit
2.	Used Oil	100 Lt/year	180 Lt/year	Sold to Authorized Vendors
3.	Kitchen Waste	4.5 kg/day	10 kg/day	Bio Composting
4.	Mill Scale	-	600	Reuse in process
Solid & Hazardous Waste Generation				
1.	Zinc fines or dust		36 MTPA	Sold to Authorised recyclers
2.	Spent acid & alkali		2 KLPA	After treatment to be used within the premises / to be sold to authorized recyclers
3.	Chemical sludge from waste water treatment		2 TPA	Co-processing in cement kiln / Dispose in the CTSDF

9. प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (मिल स्केल एवं कटिंग) को स्वयं की इकाई में प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाएगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित स्लज का अपवहन खाद के रूप में स्वयं की इकाई के द्वारा पुनः कर लिया जाएगा।

11. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्त्रोत – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 37 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं जी.आई. के लिए 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है।

- भू–जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगी। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु 8 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन के उपयोग किया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोक पीट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 6 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 13,137 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) क्षमता का निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 9.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का 2 नग डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 4,590 वर्गमीटर क्षेत्र में 1,150 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1,970 वर्गमीटर क्षेत्र में 810 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार परिसर के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 6,560 वर्गमीटर (33.40 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,960 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 810 नग पौधों के लिए राशि 56,700 रूपये, खाद के लिए राशि 24,300 रूपये तथा सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,61,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,42,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु तथा 4,76,400 रूपये राशि आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लेण्ड एरिया स्टेटमेंट में वृक्षारोपण के लिए वर्तमान में 5,880 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1,961.96 वर्गमीटर क्षेत्र, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 7,841.96 वर्गमीटर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण संबंधी प्रस्ताव

में परिसर के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु वर्तमान में 4,590 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1,970 वर्गमीटर क्षेत्र, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 6,560 वर्गमीटर (33.40 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
450	1%	4.5	Following activities at Nearby, Govt. Higher Secondry School Village-Siltara	
			Rain Water Harvesting in nearby School	1.60
			Construction of Toilets for Students	4.05
			Plantation around the boundary in near by pond	6.60
			Total	12.25

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 22,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,31,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,06,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,54,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में कम से कम 250 नग वृक्षारोपण (कटहल, आम एवं जामुन) किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (80 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित एवं ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार एवं क्षेत्रफल सहित) हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वृक्षारोपण संबंधी प्रस्ताव में परिसर के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में कम से कम 250 नग वृक्षारोपण (कटहल, आम एवं जामुन) किये जाने हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार एवं क्षेत्रफल सहित) हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुत लेण्ड एरिया स्टेटमेंट अनुसार वृक्षारोपण के लिए वर्तमान में 5,880 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 1,961.96 वर्गमीटर क्षेत्र, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 7,841.96 वर्गमीटर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 250 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 75,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,69,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,12,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–II, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 100(पार्ट) एवं 101(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.841 एकड़ में रि–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स, स्ट्रीप्स एण्ड पाईप थ्रु इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (हॉट चार्ज) क्षमता–59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत चरौदा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सचिव ग्राम पंचायत के सील एवं हस्ताक्षर नहीं है एवं यथायोग्य स्थान (खसरावार एवं क्षेत्रफल सहित) का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–II, तहसील व जिला–रायपुर को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   "Project proponent shall ensure proper plantation wherever completed. To ensure gap plantations at all appropriate places near the work site and vicinity such as approach road, boundary etc."

   साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत (सरपंच एवं सचिव के सील एवं हस्ताक्षर सहित) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार एवं क्षेत्रफल सहित) हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बघर्रा सेण्ड माईन (ए1) (प्रो.– श्री सुमेन्द्र सिंह), ग्राम–बघर्रा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2175)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 404927/2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बघर्रा, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 290, कुल क्षेत्रफल–1.283 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मनियारी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,766 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमेन्द्र सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीभांवर का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना –** माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 1582/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2022 बिलासपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 595/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 595/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री सुमेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि–03/2022 मुंगेली, दिनांक 01/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–बघनीभंवर 300 मीटर, स्कूल ग्राम–बघर्रा 1.60 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–लोरमी 7.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.6 कि.मी. दूर है। नाला 10 मीटर, नहर 1.15 कि.मी., पुल 4 कि.मी., बांध 2.60 कि.मी., एनीकट 2.6 कि.मी. एवं तालाब 430 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 525 मीटर, न्यूनतम 509 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 32 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर दर्शाई गई है। खदान की पूर्वी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 12 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर एवं पश्चिमी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 15 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.38 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 9,766 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.375 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई 3 मीटर से अधिक है। समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत जाना आवश्यक है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से लगी हुई है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर को छोड़ते हुये 2,350 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1.028 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.65	2%	0.253	Following activities at nearby, Village-Ghanaghath	

			Plantation with fencing in periphery of village pond area	0.292
			Total	0.292

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 20 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में 5 नग पौधे तालाब के किनारे पर है। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 15 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,250 रूपये, खाद के लिए राशि 750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 16,500 रूपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 12,750 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.566 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 806/खनि 02/रेत(Kuler)/न.क.38/1996 नवा रायपुर, दिनांक 02/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 6 माह (अर्थात् दिनांक 29/03/2023) की अवधि हेतु वैध है।
2. प्रस्तुत पंचनामा दिनांक 09/02/2023 अनुसार बेड रॉक (Bed Rock) की गहराई 3 मीटर से 3.5 मीटर होना बताया गया है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मनियारी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–बघर्री) का रकबा 1.263 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 260 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 32,500 रूपये, खाद के लिए राशि 13,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये, तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,98,100 रूपये प्रथम वर्ष में एवं द्वितीय वर्ष कुल राशि 1,63,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बघर्री सेण्ड माईन (ए1) (प्रो.– श्री सुमेन्द्र सिंह), खसरा क्रमांक 290, ग्राम–बघर्री, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 1.263 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 2,350 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.028 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में

ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 9,766 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2022 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।

2. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स बघर्ता सेण्ड माईन (ए1) (प्रो.– श्री सुमेन्द्र सिंह), को पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु** निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

   "नदी तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

   समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

9. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (उरंगा एवं बरिमा बाक्साईट माईन), ग्राम–उरंगा एवं बरिमा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2186)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – आईए/ सीजी/ एमआईएन/ 253231/2022, दिनांक 25/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु भारत सरकार, पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405926/2022, दिनांक 11/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–उरंगा एवं बरिमा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा, कुल क्षेत्रफल – 179.595 हेक्टेयर (निजी भूमि – 168.124 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 11.471 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित कुल उत्खनन क्षमता – 11,00,000 टन प्रतिवर्ष (आरओएम उत्खनन क्षमता – 8,50,000 टन प्रतिवर्ष (सेलेबल बॉक्साईट खनिज 4,00,000 टन प्रतिवर्ष, सबग्रेड खनिज 1,52,500 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 2,97,500 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता – 2,50,000 टन प्रतिवर्ष) है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 12.73 करोड़ होगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक No.IA-J-11015/9/2022-IA-II(NCM), दिनांक 11/03/2022 द्वारा स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1686(अ), दिनांक 20/04/2022 के प्रावधानों के तहत् कोयले के अलावा अन्य प्रमुख खनिज खनन पट्टे के संबंध में 250 हेक्टेयर से कम के प्रकरण पर विचार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)/ राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) को है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, एसीसटेंट जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में श्रुस्ती सेवा प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से श्री उमाकान्त रोड़े उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उरंगा का दिनांक 08/07/2022 एवं ग्राम पंचायत बरिमा का दिनांक 06/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सरगुजा/बॉक्स/खयो–1304/2021–रायपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–7/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो दिनांक 28/03/2023 तक वैध है।

5. **भू–स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2313 अम्बिकापुर, दिनांक 13/12/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार निम्न तथ्यों का उल्लेख है:–

   i. प्रस्तावित खनिपट्टा क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणी सेड्यूल 1 के नहीं है, खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. दूरी पर प्रवासी हाथियों का यदा–कदा अल्प समय हेतु आवागमन होता है। समिति का मत है कि 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   ii. प्रस्तावित बाक्साईट खनिपट्टा क्षेत्र के 10 कि.मी. त्रिज्या (कोर एवं बफर जोन) में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायो स्पेयर रिजर्व, टाईगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, प्रवासी पक्षियों का स्थल एवं अन्य वन प्राणियों के लिए कॉरीडोर आदि स्थित नहीं है।

   iii. प्रस्तावित बाक्साईट खनिपट्टा क्षेत्र राजस्व भूमि और निजी भूमि होने के कारण वन अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–उरंगा 50 मीटर, शहर मैनपाट 6.3 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। मनगरदा नाला 1.5 कि.मी., सनगुद नदी 3 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,07,17,590 टन एवं माईनेबल रिजर्व 28,95,750 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,44,540 टन एवं ओवर बर्डन 2,50,000 टन प्रतिवर्ष है। जिसका उपयोग पुनःभराव एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	सेलेबल मिनरल्स (टन)	वेस्ट मिनरल्स (टन)	सब ग्रेड मिनरल्स (टन)
प्रथम	1,55,640	55,538	54,474	45,628
द्वितीय	1,96,200	74,942	68,670	52,588
तृतीय	2,37,960	1,00,111	83,286	54,563

चतुर्थ	4,79,160	1,43,492	1,67,706	1,67,962
पंचम	4,77,600	1,99,750	1,67,160	1,10,690

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 25 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित क्षेत्र के कोर एरिया कृषि भूमि होने के कारण उत्खनन उपरांत भूमि का पुनःभराव कर भू–स्वामी को पुनः प्रदान की जाएगी, जिसके कारण वृक्षारोपण ग्राम पंचायत से सहमति उपरांत ली गई भूमि में कुल 92,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	11.2	21.8	60
PM_{10}	34.3	51.1	100
SO_2	5.7	10.9	80
NO_x	8.5	14.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	39.5	54.6	75
Night L_{eq}	33.3	40.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 133 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.01 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 611 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 744 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.066 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क

मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (zone of free flow) के भीतर है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 20/09/2022 प्रातः 11:00 बजे स्थान – स्टेडियम तहसील कार्यालय के सामने, ग्राम–नर्मदापुर, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 21/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैः–**

i. परियोजना के अंतर्गत जिन भू–स्वामियों से उनकी भूमि ली जाती है उन्हें खदान में रोजगार नहीं मिलता है।

ii. खदान के कारण आस–पास के क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा एवं परिवहन मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से धुल उत्सर्जन होगा।

iii. खदान क्षेत्र के आसपास कृषि/रहवासी क्षेत्र को ब्लास्टिंग के दौरान होने वाली नुकसान के रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाये जायेंगे?

iv. ग्राम पंचायत बरीमा में सीएमडीसी खदान कार्य कर रही है, लेकिन वहां के ग्रामवासियों को ना तो काम दिया जाता है, न साइट दिखाया जाता है, न बी.डी. रजिस्टर में नाम चढ़ाया जाता है।

v. हमारे ग्राम पंचायत बरीमा के लोग त्रस्त है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो रोड की व्यवस्था है, ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है।

vi. यह के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. इस परियोजना के अंतर्गत भू–स्वामियों से उनकी भूमि का फसल मुआवजा दे कर केवल 7 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया जायेगा। प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य को उनकी योग्यतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही कन्ट्रोल ब्लास्टिंग एवं खनिज परिवहन मार्ग के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण एवं नियमित रूप से जल छिड़काव किया जाएगा।

iii. डी.जी.एम.एस. के नियमानुसार कन्ट्रोल ब्लास्टिंग एवं वेट ड्रिलिंग किया जाएगा, ताकि फसलों एवं कृषि योग्य भूमि को क्षति न हो।

iv. सीएमडीसी की प्रस्तावित उरंगा–बरीमा बॉक्साईट खदान में सीएमडीसी द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार से 1 सदस्य को योग्यतानुसार रोजगार दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही उनका नाम बी. एवं डी. रजिस्टर में प्राथमिकता के आधार पर जुड़वाया जाएगा।

v. ग्राम उरंगा–बरीमा एवं आस–पास के अन्य ग्रामों के ग्रामीण विकास में सहयोग एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। समय–समय पर स्वास्थ्य सिविर एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। पेय जल उपलब्ध कराने हेतु गांव की आवश्यकतानुसार नलकुपों का खनन किया जाएगा। सड़कों का रख–रखाव एवं प्रतिक्षालयों का निर्माण आदि

सुविधाएं ग्राम पंचायत के सहयोग से आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाएगा।

vi. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

17. **इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में टैंकर के माध्यम से जल छिड़काव हेतु 25 लाख, गारलेण्ड निर्माण हेतु 3 लाख, रिटेनिंग वाल हेतु 2 लाख, बोल्डर चेक प्लग हेतु 1.5 लाख, ध्वनि रोधक हेतु 1 लाख, मॉनिटरिंग हेतु 2 लाख, सोलर पैनल हेतु 1 लाख, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 1 लाख, श्रमिकों के हेल्थ चेकअप फेसिलिटी, ट्रेनिंग, जागरूकता आदि हेतु 1 लाख, श्रमिकों के सुरक्षा उपकरण हेतु 0.22 लाख एवं अन्य हेतु 3 लाख रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल 52.72 लाख रूपये एवं आगामी वर्षों में रूपये 20 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् 25.5 लाख रूपये का ईको पार्क निर्माण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्षा जल के बहाव को रोकने हेतु गारलेण्ड ड्रेन एवं लूज पार्टिकल्स को रोकने के लिये रिटेनिंग वॉल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईडलाईन्स के अनुसार सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाएगा।

20. खदान की आयु तक 133.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्खनन कार्य किया जाएगा एवं शेष 46.125 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण एवं खनिज उपलब्धता नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं की जाएगी।

21. उत्खनित कुल क्षेत्रफल 133.47 हेक्टेयर में से 105.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पुनःभराव किया जाएगा, 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल का उपयोग सबग्रेड स्टॉक एवं 3 हेक्टेयर को वाटर रिर्जवायर के रूप में उपयोग किया जाएगा।

22. "सी.एम.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खनन क्षेत्र के स्थित प्रत्येक भू–स्वामी/खातेदारों को रूपये 72,500 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 07 वर्षों की अवधि के लिये क्षतिपूर्ति फसल मुआवजा का भुगतान किया जावेगा। उक्त 07 वर्ष की अवधि संबंधित भूमि में खनन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रारंभ हो कर आगामी 07 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक माना जावेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

23. "भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस खदान के लिए अनुमोदित माईनिंग प्लान/माईनिंग स्कीम के अनुसार ही सी.एम.डी.सी. द्वारा भूमि स्वामियों की भूमि को खनन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणों में लिया जाएगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

24. "समस्त खातेदारों द्वारा खनन संचालन हेतु पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जावेगा एवं भविष्य में खनन कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जावेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

25. "इस सहमति के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी द्वारा ग्राम बरिमा तथा उरंगा के प्रभावित भूमि स्वामियों के भूमि के लिए क्षतिपूर्ति मुआवजा निर्धारण आदेश जारी किया जावेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

26. "सी.एम.डी.सी. द्वारा खातेदारों को मुआवजा का भुगतान भू–अर्जन अधिकारी के माध्यम से ही किया जावेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

27. "सी.एम.डी.सी. के खनन क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों / भू–स्वामियों को कार्य में प्राथमिकता होगी। समस्त खातेदारों को उनकी भूमि उत्खनन पश्चात् समतलीकरण करने वापस की जावेगी।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

28. "सी.एम.डी.सी. द्वारा निजी भूमि के भू–स्वामी को बाक्साईट खनिज का उत्खनन एवं परिवहन करने के पश्चात् समतलीकरण कर समयावधि में वापस किया जाना है उपरोक्त क्षेत्रों के स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की परिधि पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होता है परन्तु निजी भू–स्वामियों द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विरोध किया जाता है क्योंकि उनको खनन उपरांत खेती किया जाना होता है।" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. "सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत क्षेत्रो में निजी भूमि के बराबर (7.5 मीटर की परिधि में) अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों / सरपंच / अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों से सलाह कर उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.एम.डी.सी. वचनबद्ध है।" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. "CMDC undertakes that the contents of EIA/EMP are true and correct to bets of my knowledge and belief, that nothing has been concealed" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. "This is new project, therefore Hor'ble Supreme court of India' judgment dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and ors. Shall not be applicable to this project." शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) form PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत किया जाए।

2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भूमि संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है।

2. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) form PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लेटेराईट खनिज उत्खनन के संबंध में उत्खनित मात्रा, खनन अवधि, लेटेराईट प्रबंधन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/ अनुमति पत्र एस.ईआई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 19/01/2023 के माध्यम से कलेक्टर, जिला–सरगुजा को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु जिला सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में 2 से 5 हेक्टेयर तक की शासकीय भूमि आबंटित किये जाने हेतु मांग किया गया है।

   ईको पार्क निर्माण किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) अनुसार आगामी कार्यवाही किये जाने बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है। ईको पार्क हेतु प्रस्तुत डी.पी.आर. (Detailed Project Report) निम्नानुसार है:–

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,162	1	80	2,52,960
4	Butterfly Garden	3,096	1	80	2,47,680
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	880 Mtr (Running 4m Size)	6,032	78 per Kg	4,70,496
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,782	1	50	3,39,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	6	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
	Total				50,91,551

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–उरंगा एवं बरिमा) का रकबा 179.595 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. लेटेराईट खनिज उत्खनन के संबंध में उत्खनित मात्रा, खनन अवधि, लेटेराईट प्रबंधन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/ अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (उरंगा एवं बरिमा बाक्साईट माईन) को ग्राम–उरंगा एवं बरिमा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा में स्थित बॉक्साईट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–179.595 हेक्टेयर (निजी भूमि–168.124 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि–11.471 हेक्टेयर), कुल उत्खनन क्षमता – 11,00,000 टन प्रतिवर्ष [आरओएम उत्खनन क्षमता – 8,50,000 टन प्रतिवर्ष (सेलेबल बॉक्साईट खनिज 4,00,000 टन प्रतिवर्ष, सबग्रेड खनिज 1,52,500 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 2,97,500 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता – 2,50,000 टन प्रतिवर्ष] हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (उरंगा एवं बरिमा बाक्साईट माईन), ग्राम–उरंगा एवं बरिमा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. **Environmental Clearance shall be effective from date of submission of all requisite documents as prescribed by SEAC, CG at serial no. 2 of page no. 59 and serial no. 3 of page no. 59.**

ii. **All conditions prescribed by SEAC, CG shall be complied with by the Project Proponent.**

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड (धौरामांटा लाईम स्टोन क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल), ग्राम–धौरामांटा, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (वर्तमान में जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2150)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 286298/ 2022, दिनांक 09/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौरामांटा, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (वर्तमान में जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़) स्थित खसरा क्रमांक – 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/3, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–61,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभांटा का दिनांक 12/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एसांग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1457ए/ख.लि.–2/2002 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1543 कले./ख.लि./2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1543 कले./ख.लि./2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक/एतिहासिक स्थल, पुल, नदी, रेलवे लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। 120 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड, डॉयरेक्टर–श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1190/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 04/07/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/3 श्री श्रवण अग्रवाल, मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड रायगढ़ के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1890/2019 रायगढ़, दिनांक 11/04/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.88 कि.मी. एवं गोमर्डा अभ्यारण्य से 10.6 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धौराभांटा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–धौराभांटा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–धौराभांटा 1 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। महानदी 5 कि.मी. एवं नाला 120 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। गोमर्डा वन्यजीव अभ्यारण 10.6 कि.मी. की दूरी पर है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 13,65,000 टन, माईनेबल रिजर्व 4,03,043 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,82,890 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,500 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,300
चतुर्थ	60,750
पंचम	61,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	70,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	फेंसिंग हेतु राशि	1,74,800	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,86,000	1,56,000	1,56,000	1,56,000	1,56,000
कुल राशि = 10,96,000		4,40,800	1,64,000	1,64,000	1,64,000	1,64,000

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के 575 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर कुछ क्षेत्रों में 6 मीटर के बाद उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,500 घनमीटर है,

जिसमें से 5,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं लगभग 4,800 घनमीटर को लीज क्षेत्र के भीतर प्रथम वर्ष में जिस क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाना प्रस्तावित है उस क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी को संरक्षित रखा जाकर उत्खनित क्षेत्र में पुनःभराव हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष 2,400 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर उत्तर–पूर्वी भाग के 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र में संरक्षित किया जायेगा।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at Govt. Primary School Village-Dhaurabhatha	
			Running Water in the toilet	0.40
			Plantation in school	0.73
			Total	1.13

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, जामुन, कटहल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 1,200 रूपये, फेंसिंग हेतु राशि 8,000 रूपये, खाद के लिए राशि 200 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,400 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,560 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य हेतु स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

8. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति

(प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1543 कले./ख.लि./2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-धौरामांटा) का रकबा 1.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड (धौरामांटा लाईम स्टोन क्वारी, डॉयरेक्टर- श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल), ग्राम-धौरामांटा, तहसील-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (वर्तमान में जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़) के खसरा क्रमांक 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/3, में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर, क्षमता - 61,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड (धौरामांटा लाईम स्टोन क्वारी, डॉयरेक्टर- श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल) को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

   i. **Project Proponent shall carry out a study for conservation of nallah/water body located at a distance of 120 meters from the site and submit an action plan for conservation of the said nallah/water body.**

   ii. **Project Proponent shall submit an EMP for the project area.**

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. **मेसर्स सोलस फ्यूल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–सण्डी, तहसील–मंदिर हसौद, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2249)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी2/ 412828/2023, दिनांक 02/01/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा शर्मा कॉम्प्लेक्स, ग्राम–सण्डी, तहसील–मंदिर हसौद, जिला–रायपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1534, 1535, 1538, 1539, 1547, 1548/1, 1548/2, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1559, 1560 एवं 1537/3, कुल क्षेत्रफल – 10.19 हेक्टेयर में ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 200 किलोलीटर प्रतिदिन [रिक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल/ इथेनॉल/ अब्सोल्यूट एल्कोहल], को–जनरेशन पॉवर प्लांट – 6 मेगावॉट के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 120 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–बोदरा 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन लखोटी 5.7 कि.मी. तथा स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, मोना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। महानदी 9.1 कि.मी., महानदी मुख्य नहर 2.2 कि.मी. एवं कुल्हन नाला 5.1 कि.मी. दूर है। संधारी नाला परियोजना स्थल से लगी हुई है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **भूमि संबंधी विवरण** – भूमि सोल्स फ्यूल्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. (श्री अक्षय शर्मा (डॉयरेक्टर), श्री संदीप शर्मा (डॉयरेक्टर) एवं श्री विनोद कुमार शर्मा (डॉयरेक्टर)) के नाम पर है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

Land Use	Area (in Ha.)	Area (%)
Built-up Area	2.286	22.44
Internal road area	1.650	16.19
Water Reservoir	0.456	4.47
Solid Waste Management Area	0.260	2.55
Parking Area	0.398	3.90
Green Belt Area	3.659	35.91

Misc. areas	1.481	14.54
Total	**10.19**	**100**

4. रॉ–मटेरियल –

S.No	Raw Material/Fuel	Source	Quantity (TPD)	Method of Transport
Raw Material for Grain Based Distillery plant				
1.	Not edible or Multi Grains (Rice, maize, bajra, jowar, corn, Sorghum grain Waste 1 damaged broken rice and other starch-based grains, etc.)	Local area (Chhattisgarh)	533	By Road through Covered Trucks
Fuel for 1 x 50 TPH Boiler				
1.	Biomass	Local	270	By Road through Covered Trucks
(or)				
2.	Indian coal	SECL	230	By Road through Covered Trucks
(or)				
3.	Imported coal	Indonesia/ Australia	141	Sea/Rail/ Through covered trucks

5. प्रस्तावित उत्पादन इकाईयों संबंधी जानकारी –

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Rectified Spirit /Extra Neutral Alcohol /Ethanol/ Absolute alcohol	200 KLPD
2.	Electricity	6.0 MW
By-Products		
3.	DDGS (Distillers Dried Grain Solubles)	144 TPD
4.	CO_2 Recovery from Fermentation Process	128 TPD
50 TPH Boiler will be proposed to meet the steam requirement of present proposal		

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रदूषण नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस.पी. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। बॉयलर से निकलने वाली फ्लू गैस हेतु 51 मीटर ऊंची चिमनी एवं मटेरियल ट्रांसफर पाईंट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। फ्यूल अनलोडिंग क्षेत्र में डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव व कवर्ड कन्वेयर सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।

7. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No.	Solid Waste Products	Quantity (TPD)	Disposal / Management
1.	DDGS	160	Will be sold as cattle feed/ fish feed/ prawn feed

2.	Boiler ash		
	when 100% Indian coal is used	92	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit
	(or)		
	when 100% Imported coal is used	14.1	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit
	(or)		
	when 100% biomass	48.6	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 800 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 790 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से 1,658 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न अपशिष्ट जल को ई.टी.पी. में उपचारित किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा। डिस्टीलेशन उपरांत जनित स्पेंट वॉश 1,200 घनमीटर प्रतिदिन को डिकेन्टर, मल्टी इफेक्ट ईवेपोरेटर एवं ड्रायर से भेजा जाकर डी.डी.जी.एस.बनाया जाना प्रस्तावित है। प्लांट 30 टन प्रतिघंटा क्षमता शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति 6 मेगावाट को–जनरेशन पॉवर प्लांट (केप्टिव) से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 3.659 हेक्टेयर (लगभग 35.91 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारो ओर वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले–आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 के मध्य किया जा रहा है। उक्त के संबंध में दिनांक 20/12/2022 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(जी) डिस्टिलरी (Distillery) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that damaged food grains like broken rice, food grains unfit for human consumption, food grains during surplus phase as declared by National Biofuel Coordination Committee (NBCC) shall only be used as a raw material.

ii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

iii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vi. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

vii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

viii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modeling (worst and best case scenario).

ix. Project proponent shall submit details of water balance chart.

x. Project proponent shall submit details of ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

xi. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation.

xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the layout of plant incorporating proposed plantation work, earmarking at-least 20 meter width (3 tier) of land for plantation all along the boundary and dense plantation around effluent treatment plant and sewage treatment facilities.

xix. Project proponent shall submit the energy saving techniques proposed in the project.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

12. मेसर्स भारत बिल्डर्स (प्रो.– श्रीमती शांति देवी, परना लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–परना, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2252)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 412376/2023, दिनांक 06/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–परना, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 33/2,

33/6 (पार्ट), 33/7(पार्ट), 36/3(पार्ट) एवं 36/4(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.266 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आदित्य जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत परना का दिनांक 12/05/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है जो उप–संचालक, खनिज प्रशासन, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1360/खनि. अनु.–01/2022 दुर्ग, दिनांक 22/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 01/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.252 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 01/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स भारत बिल्डर्स के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1865/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 33/2 श्रीमती लताबाई, नाबालिक प्रताप सिंह, सुश्री आरती, सुश्री नेहा, सुश्री कुमारी, सुश्री गंगाबाई व सुश्री ओमिन, खसरा क्रमांक 33/6 श्री अलखराम व श्री ऐनुराम, खसरा क्रमांक 33/7 श्रीमती आशोबाई, खसरा क्रमांक 36/3 श्री संजय कुमार एवं 36/4 श्रीमती शांति के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10–1/2022/5871 राजनांदगांव, दिनांक 19/07/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6.24 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पिंकापार 800 मीटर, स्कूल ग्राम–खुर्सीपार 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–पिंकापार 1 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 60 मीटर, तालाब 1 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,54,550 टन, माईनेबल रिजर्व 2,59,207 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,46,245 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,228 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,400 घनमीटर है, जिसमें से 4,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष 4,400 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के निकट सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 33/6, रकबा 0.375 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 33/7, रकबा 0.203 हेक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 0.578 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5.18 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	50,000
चतुर्थ	50,000
पंचम	50,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,00,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 40,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,14,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि

1,73,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.6	Following activities at, Village- Parna	
			Pavitra Van Nirman	3.712
			Total	3.712

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, जामुन, कटहल, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,300 नग पौधों के लिए राशि 81,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 50,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,05,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,66,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत परना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 101, क्षेत्रफल 0.526 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. ऊपरी मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई (यदि आवश्यक हो तो) सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 01/ख. नि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.252 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–परना) का रकबा 1.266 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–परना) को मिलाकर कुल रकबा 4.518 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स भारत बिल्डर्स (प्रो.– श्रीमती शांति देवी, परना लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–परना, तहसील–डौंगरगांव, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 33/2, 33/6 (पार्ट), 33/7(पार्ट), 36/3(पार्ट) एवं 36/4(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज)

खदान, कुल क्षेत्रफल–1.266 हेक्टेयर, क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स भारत बिल्डर्स (प्रो.– श्रीमती शांति देवी, परना लाईम स्टोन क्वारी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

13. मेसर्स रघुनाथपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री रंजीत किन्डो), ग्राम–रघुनाथपुर, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2255)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 412879/ 2023, दिनांक 06/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रघुनाथपुर, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 490, 486, 488/3, 488/2, 488/4, 488/9, 488/7 एवं 488/5, कुल क्षेत्रफल–4.414 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,120.47 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार जगत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत रघुनाथपुर का दिनांक 19/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1804/ए/ख.नि./स्था./2022 रायगढ़, दिनांक 23/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 529/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक

04/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 530/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 04/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री रंजीत किण्डो के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 489/खनि. शा./2022 जशपुर, दिनांक 16/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 490 श्री विलियम, खसरा क्रमांक 486 श्री फुलसाय, श्री जोहन, श्रीमती तरसिला एवं खसरा क्रमांक 488/3 श्री त्रिलोचन व किर्तन, तिलोमणि बेवा, खसरा क्रमांक 488/2, 488/4, 488/9, 488/7 श्री होलसाय, मंगलासी बेवा, करमसाय, नाबालिक शारदा, श्री धरमसाय, श्री चैतराम, वो. हिरमंत, भु. दशमेत, वो. मुतिजोबाई एवं खसरा क्रमांक 488/5 श्री मानसाय के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2022/4722 जशपुर, दिनांक 07/11/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रघुनाथपुर 830 मीटर, स्कूल ग्राम–रघुनाथपुर 1.45 कि.मी. एवं अस्पताल पत्थलगांव 7.55 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.70 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.85 कि.मी. दूर है। बुरही नदी 5.8 कि.मी., नहर 4.25 कि.मी, मौसमी नाला 1.5 कि.मी. एवं तालाब 980 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,38,298 टन, माईनेबल रिजर्व 5,10,932 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,59,839 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 12,115 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 36 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,381.25 घनमीटर है। जिसमें से 4,248 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में

फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष 3,133.25 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के निकटतम सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 488/1) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जायेगा। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,381.25 घनमीटर है। ओवर बर्डन का उपयोग क्रशर क्षेत्र के समतलीयकरण, हॉल रोड व रैम्प के निर्माण के उपरांत शेष ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के निकटतम सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 488/1) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर होगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,070.16
द्वितीय	40,031.55
तृतीय	40,120.47
चतुर्थ	40,074.84
पंचम	40,014.00

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.47 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत एवं भू–जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत एवं सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,206 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 12,060 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 60,300 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,22,360 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,41,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31.98	2%	0.6396	Following activities at Govt. Primary School **Village- Kotbhiyapara**	
			Installation of UV water filter and its	0.25

			AMC	
			Running water arrangement in toilet	0.30
			Distribution of Environment related Books	0.10
			Total	**0.65**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 36 मीटर है। समिति का मत है कि भू–जल स्तर को देखते हुये 30 मीटर से अधिक गहराई तक उत्खनन कार्य नहीं किया जाए।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पौधों का 90 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

28. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

29. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 529/खनि. शा./2022 जशपुर, दिनांक 04/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं। आवेदित खदान (ग्राम–रघुनाथपुर) का क्षेत्रफल 4.414 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स रघुनाथपुर आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.–श्री रंजीत किन्डो) को ग्राम–रघुनाथपुर, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 490, 486, 488/3, 488/2, 488/4, 488/9, 488/7 एवं 488/6 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.414 हेक्टेयर, क्षमता – 40,120 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स रघुनाथपुर आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री रंजीत किन्डो) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

14. मेसर्स सारायपाली ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट (साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड), ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 2285)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/415356/2023, दिनांक 21/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/01/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/01/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में कोल माईन क्षमता–1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (50% Expansion) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.के. जेना, जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इन्सटिट्यूट लिमिटेड, रांची की ओर से श्री प्रवीण श्रीवास्तव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

   Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard TORs and public consultation report, if applicable. The concerned EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental safeguards after due diligence, as required."

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of 50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 03/01/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपूर्ण पालन किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न निर्देश जारी किये गये है:–

- रिटेनिंग वॉल निर्माण करने के संबंध में कार्यपूर्ण प्रतिवेदन त्रैमासिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
- स्लॉथ बियर और मॉनिटर लिजार्ड के संरक्षण एवं औषधीय पौधों के संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- ई.टी.पी. एवं एस.टी.पी. के निर्माण किये जाने के संबंध में कार्यपूर्ण प्रतिवेदन त्रैमासिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
- आर एण्ड आर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन की स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- कर्मचारियों के हेल्थ चेकअप (occupational health surveillance) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ओपन कास्ट कोल माईन क्षमता 1.40 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 18/02/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 01/03/2022 से 28/02/2025 तक वैध है।

5. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कंपनी सेक्रेट्री, साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड के रिफरेन्स नं. एसईसीएल/बीएसपी/सीएडी/140वीं सीओएफडी ईएक्सटी/22–23/762, दिनांक 30/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।

6. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 867 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 767 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू/पोटेबल उपयोग हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। औद्योगिक जल की आपूर्ति माईन सीपेज वॉटर (सेटलिंग टैंक से उपचारित जल) एवं घरेलू/पोटेबल जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। घरेलू/पोटेबल जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।

7. खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS) बिलासपुर क्षेत्र के ज्ञापन क्रमांक/3784 बिलासपुर, दिनांक 11/09/2014 द्वारा "Exemption from the provisions of Regulation 98 (1) & 98 (3) of the Coal Mines Regulations, 1957 regarding height and width of benches of overburden and coal for extraction by opencast method by deep hole drilling and blasting with the use of HEMM at Saraipali Opencast Mine of M/s SECL". हेतु पत्र जारी किया गया है।

8. ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. (Envrionmental Impact Assessment & Environmental Management Plan) रिपोर्ट सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टिट्यूट

लिमिटेड, रांची द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 22/08/2024 तक है।

9. प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants				
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	GSR 742 (E) Standard at Core Zone (µg/m^3)	GSR 826 (E) Standard at Buffer Zone (µg/m^3)
Suspended Particulate Matter (SPM) (Core zone)	228.9	294.3	600	-
Suspended Particulate Matter (SPM) (Buffer zone)	23.7	48.4	-	60
PM_{10} (Core zone)	136.2	168.1	300	-
PM_{10} (Buffer zone)	48.1	85	-	100
SO_2 (Core zone)	24.3	41	120	-
SO_2 (Buffer zone)	9.2	32.1	-	80
NO_2 (Core zone)	17.9	31.9	120	-
NO_2 (Buffer zone)	6.6	21.5	-	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of the Environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.2	67.7	75
Night L_{eq}	36.5	58.1	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14,326	1.5%	214.89	Following activities at near by villages.	
			Rain water harvesting	139.06
			Plantation & beautification around pond at village budbud	34.46
			Plantation & beautification around pond at village Talapara	40.83
			Plantation at near by villages of the Mine	97.26
			Total	311.61

11. सी.ई.आर. के तहत् रेनवाटर हार्वेस्टिंग ग्राम सोमरकच्छ के शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत रामदेई के शासकीय प्राथमिक, मीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवन, ग्राम छपही पारा के प्राथमिक एवं आंगनबाड़ी प्राईमरी स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन एवं पब्लिक हेल्थ सेंटर, ग्राम मदान के प्राईमरी स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी एवं कम्युनिटी सेंटर, ग्राम पंचायत मुदाली के पंचायत भवन शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत ननपुलाली के प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत बुडबुड के शासकीय प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी, शासकीय उचित मुल्य की दुकान एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत दुकुपथरा के शासकीय प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी, शासकीय उचित मुल्य की दुकान एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत लिटियाखार के शासकीय प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत लोहरिया के शासकीय प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी एवं उपस्वाथ्य, बटरा के हेल्थ सेंटर, शासकीय प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी एवं कम्युनिटि सेंटर ग्राम पंचायत कोडार के शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत जरमहुआ के शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत अल्गीडांड के शासकीय प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन एवं महिला शक्तिग्राम संगठन भवन, ग्राम पंचायत बघारीडांड के शासकीय प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत खरबहार के शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत कपोट के के शासकीय प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत औरामाडा के शासकीय भवन, ग्राम पंचायत चेपा के शासकीय प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत हरामुडी के शासकीय

प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत बेलतरा के शासकीय प्राथमिक शाला, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर एवं कम्यूनिटि सेंटर, ग्राम पंचायत कोरबी के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत बनका के प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी एवं हाई स्कूल, ग्राम पंचायत दमिया के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी एवं हेल्थ सेंटर, ग्राम पंचायत लिम्हा के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत सिल्ली के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन एवं जनशिक्षा केन्द्र भवन, ग्राम पंचायत परसदा के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन एवं जनशिक्षा केन्द्र भवन, ग्राम पंचायत खैरा के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन एवं राजीव सेवा केन्द्र भवन, ग्राम पंचायत पोल्मी के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत तालापारा के प्राथमिक शाला एवं ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत मुनगाडीह के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल एवं कस्तुरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल भवन, ग्राम पंचायत गणेशपुर के प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत नवापारा के प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत निर्वी के प्राथमिक शाला, मीडिल स्कूल एवं ग्राम पंचायत भवन में किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के स्थान पर उक्त राशि से कलेक्टर, कोरबा से स्थल प्राप्त कर ईको पार्क निर्माण किया जाना आवश्यक है।

12. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुड़बुड़ के गौठान क्षेत्र खसरा क्रमांक 135, क्षेत्रफल–2.832 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 657/6क, क्षेत्रफल–1.416 हेक्टेयर क्षेत्र में क्रमशः 1,500 तथा 500 नग वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत बुड़बुड़ का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत बुकुपथरा के गौठान क्षेत्र खसरा क्रमांक 4/1क, क्षेत्रफल–2.832 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,000 नग वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत बुकुपथरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत केराझरिया के खसरा क्रमांक 246/1, क्षेत्रफल–2.832 हेक्टेयर तथा तालाब का खसरा क्रमांक 247/1, क्षेत्रफल–1.618 हेक्टेयर में क्रमशः 1,000 तथा 500 नग वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत केराझरिया का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत तालापार के गौठान क्षेत्र खसरा क्रमांक 300, क्षेत्रफल–2.428 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 नग वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत तालापार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त क्षेत्र (बुड़बुड़, बुकुपथरा, केराझरिया, तालापार) में कुल 5,000 नग वृक्षारोपण प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,80,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 37,500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 17,50,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 27,67,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव अन्य हेतु कुल राशि 69,59,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र एवं उसके आस–पास में हाथियों का विचरण एवं निवास स्थान नहीं होना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त क्षेत्र में हाथियों का विचरण एवं निवास है अथवा नहीं के संदर्भ में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला कोरबा द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् मेसर्स सारायपाली ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट (साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड) को क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–279 हेक्टेयर में कोल माईन क्षमता–1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष (20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall made CER fund as CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14,326	1.5%	214.89	Following activities at near by villages.	
			Rain water harvesting	139.06
			Plantation & beautification around pond at village budbud	34.48
			Plantation & beautification around pond at village Talapara	40.83
			Plantation at near by villages of the Mine	97.26
			Total	**311.61**

ii. The project proponent has been suggested to establish Eco park in place of rain water harvesting in suitable areas. The area for Eco park can be obtained from district collector korba.

iii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this

regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

v. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools/ concerned authority.

vi. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

viii. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

ix. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

x. Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur inspected and suggested data submitted in six-monthly monitoring report.

xi. Construction of the retaining structures at the toe of the OB dumps shall be complete within 3 months and submitted in six- monthly monitoring report.

xii. Project Proponent shall deposit the funds in state in CAMPA earmarked for Conservation plan for endangered species- Sloth Bear and Monitor Lizard found and for medicinal plants found in and around the project area and prior approval from PCCF wildlife within 3 months and submitted in six- monthly monitoring report.

xiii. Project Proponent shall submit the status of the construction of ETP and STP on quarterly basis.

xiv. Project Proponent shall submit the status of R &R status within 3 months and submitted in six- monthly monitoring report.

xv. Project Proponent shall install the ambient air quality stations and submitted in six- monthly monitoring report.

xvi. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xvii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वांछित जानकारियों / दस्तावेजों / अभिलेखों (सरल क्रमांक 13) को एस.ई.आई.ए.ए.,

छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन प्रथम चरण में कोल माईन क्षमता 1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष का 20 प्रतिशत वृद्धि करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स सारायपाली ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट (साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड) को क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–बुडबुड, तहसील–पाली, जिला–कोरबा को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. **Environmental Clearance shall be effective from date of submission of all requisite documents as prescribed by SEAC, CG at serial no. 2 of page no. 86.**

   ii. **All conditions prescribed by SEAC, CG shall be complied with by the Project Proponent.**

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़